

राजस्थान सरकार
..जस्व(ग्रुप-6)विभाग

प0क:-6(6)राज-6/92/114

जयपुर,दिनांक:- 7.9.2006

समस्त संभगीय आयुक्त,राज0।
समस्त जिला कलेक्टर,राज0।

परिपत्र

विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प0 6(6)राज-6/92/23 दि0 15.12.05 में आंशिक संशोधन करते हुये बिन्दु सं0 (2) में वर्णित "इस प्रकार संपरिवर्तित भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ न कर पाने पर आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप में कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी में दर्ज करवाया जा सकता है" को विलोपित किया जाता है।

आज्ञा से

(क0जी0अग्रवाल) 7.9.06
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हे।

- 1.वि0 सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,राजस्व।
- 3.निजी सचिव, शासन सचिव,राजस्व।
- 4.निबंधक,राजस्व मंडल,अजमेर।
- 5.समस्त उप शासन सचिव,राजस्व विभाग।

उप शासन सचिव 7.9.06